

भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *282
दिनांक 07 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

महाराष्ट्र में भेषज विनिर्माण को बढ़ावा देना

***282. श्री अनूप संजय धोत्रे:**
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार ने घरेलू भेषज विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयातित सक्रिय भेषज सामग्री (एपीआई) पर निर्भरता को कम करने के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं और अन्य पहलों के कार्यान्वयन की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) विगत पांच वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार की योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत/सहायता प्राप्त भेषज विनिर्माण इकाइयों, आकर्षित किए गए निवेश तथा सृजित रोजगार और विनिर्माण क्षमता का महाराष्ट्र सहित राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या उक्त योजनाओं के अंतर्गत कुल परिव्यय में से महाराष्ट्र को पर्याप्त हिस्सा प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (घ) क्या सरकार का विचार औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए भेषज पार्क, बल्क ड्रग पार्क या चिकित्सा उपकरण विनिर्माण संकुल स्थापित करने का है और यदि हां, तो विशेषकर महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ङ) क्या विगत पांच वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के अकोला जिले में उद्यमियों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को इन योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता, प्रोत्साहन अथवा अनुमोदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और
- (च) भेषज विनिर्माण पारितंत्र को सुदृढ़ करने, निर्यात को बढ़ावा देने, आयात पर निर्भरता कम करने और सस्ती दवाएं सुनिश्चित करने के लिए राज्य-वार क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर
रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (च) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

“महाराष्ट्र में भेषज विनिर्माण को बढ़ावा देने” के संबंध में श्री अनूप संजय धोत्रे और प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ द्वारा पूछे जाने वाले दिनांक 07.08.2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *282 (द्वितीय स्थान) के उत्तर के संदर्भ में उल्लिखित विवरण।

(क): सरकार घरेलू औषधि विनिर्माण को बढ़ावा देने और देश भर में आयातित सक्रिय औषधीय घटकों (एपीआई) पर निर्भरता को कम करने के लिए कार्यान्वित की जा रही पीएलआई योजनाओं और अन्य पहलों की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करती है। इन योजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

- (i) **भारत में महत्वपूर्ण प्रमुख प्रारंभिक सामग्रियों (केएसएम) / औषधि मध्यवर्ती (डीआई) / सक्रिय औषधि घटकों (एपीआई) के घरेलू विनिर्माण के संवर्धन के लिए पीएलआई योजना (जिसे बल्क औषधियों के लिए पीएलआई योजना के रूप में भी जाना जाता है):** इस योजना का उद्देश्य आयात पर अत्यधिक निर्भरता के कारण आपूर्ति में व्यवधान के जोखिम को कम करके उन महत्वपूर्ण औषधियों के निर्माण में उपयोग होने वाले सक्रिय औषधि घटकों (एपीआई) की आपूर्ति में व्यवधान को रोकना है जिनके लिए कोई विकल्प उपलब्ध नहीं हैं। इस योजना के तहत, 33 एपीआई के विनिर्माण के लिए 48 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार, ₹4,329.95 करोड़ के प्रतिबद्ध निवेश की तुलना में, योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के लिए संचयी निवेश लक्ष्य से काफी अधिक होकर ₹5,070.45 करोड़ तक पहुंच गया है।
- (ii) **औषध के लिए उत्पादन-से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना:** इस योजना का उद्देश्य इस क्षेत्र में निवेश और उत्पादन बढ़ाकर भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना और औषध क्षेत्र में उच्च मूल्य वाली वस्तुओं के विनिर्माण में योगदान प्रदान करना है। इस योजना के तहत, पात्र उत्पाद श्रेणियों के अंतर्गत अनुमोदित उत्पादों के उत्पादन के लिए 55 कंपनियों/औषध संस्थाओं का चयन किया गया है। मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार, ₹17,275 करोड़ के प्रतिबद्ध निवेश की तुलना में, योजना के तहत संचयी निवेश लक्ष्य से काफी अधिक होकर ₹45,774 करोड़ तक पहुंच गया है। मार्च 2026 तक 1,16,884 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित किया गया है। इस योजना के तहत 700 से अधिक केएसएम/डीआई/एपीआई का विनिर्माण किया गया है।
- (iii) **बल्क औषधि पार्कों के संवर्धन की योजना,** जिसका कुल बजट परिव्यय ₹3,000 करोड़ है, के तहत आंध्र प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश राज्यों में उनकी संबंधित राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से तीन पार्कों को मंजूरी प्रदान की गई है। इन परियोजनाओं की कुल लागत ₹6,300 करोड़ से अधिक है, जिसमें साझी अवसंरचना सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रति राज्य ₹1,000 करोड़ की केंद्रीय सहायता शामिल है। ये पार्क रियायती दर पर भूमि और बिजली, पानी, अपशिष्ट उपचार संयंत्र, भाप, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, भंडारण जैसी सुविधाएं प्रदान करेंगे। तीनों राज्यों की राज्य कार्यान्वयन एजेंसियां निश्चित पूंजी निवेश पर पूंजी सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी, राज्य वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति, स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क से छूट आदि के रूप में वित्तीय प्रोत्साहन भी प्रदान कर रही हैं।

(ख): बल्क औषधियों के लिए पीएलआई योजना और औषध के लिए पीएलआई योजना दोनों के लिए स्वीकृत परियोजनाओं, किए गए निवेश, सृजित रोजगार और सृजित क्षमता का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ग): बल्क औषधियों के लिए पीएलआई योजना और औषध के लिए पीएलआई योजना के तहत स्वीकृत कुल परिव्यय क्रमशः ₹6,940 करोड़ और ₹15,000 करोड़ है। प्रत्येक योजना के लिए स्वीकृत कुल परिव्यय में राज्य-वार बजट आबंटन का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा, योजनाओं के तहत

निर्धारित निवेश मानदंडों और बिक्री लक्ष्यों को पूरा करने के आधार पर स्वीकृत आवेदकों/विनिर्माण इकाइयों को प्रोत्साहन राशि वितरित की जाती है।

(घ): (i) चिकित्सा उपकरण पार्क प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश), उज्जैन (मध्य प्रदेश) और कांचीपुरम (तमिलनाडु) में तीन चिकित्सा उपकरण पार्क स्वीकृत किए गए हैं।

(ii) बल्क औषधि पार्कों को प्रोत्साहन देने की योजना के तहत, भरूच (गुजरात), नक्कापल्ली (आंध्र प्रदेश) और ऊना (हिमाचल प्रदेश) में तीन बल्क औषधि पार्कों को मंजूरी प्रदान की गई है।

(ङ): औषध के लिए पीएलआई योजना के तहत, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए एक समर्पित श्रेणी-ग है, जिसमें 20 आवेदकों को मंजूरी प्रदान की गई है और मार्च 2026 तक ₹185.52 करोड़ की प्रोत्साहन राशि वितरित की जा चुकी है। हालांकि, महाराष्ट्र राज्य के अकोला जिले से कोई भी स्वीकृत आवेदक नहीं है।

(च): उपर्युक्त योजनाओं को सरकार द्वारा देश भर में औषधि विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने, निर्यात को बढ़ावा देने, आयात पर निर्भरता कम करने और सस्ती औषधियां सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

दिनांक 07.08.2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *282 (दूसरा स्थान) के भाग (ख) के उत्तर के संदर्भ में उल्लिखित अनुलग्नक

- i. बल्क औषधियों के लिए पीएलआई योजनाओं के लिए स्वीकृत परियोजनाओं, किए गए निवेश, रोजगार सृजन और क्षमता निर्माण का राज्य-वार विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य का नाम	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	संस्थापित क्षमता (मिट्रिक टन)	सृजित रोजगार (संख्या) मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार	किया गया निवेश मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार (₹ करोड़ में)
1	आंध्र प्रदेश	10	16,468	3,065	2,676
2	गुजरात	8	13,959	351	407.3
3	हरियाणा*	1	शून्य	42	37
4	हिमाचल प्रदेश	2	400	476	502.6
5	जम्मू और कश्मीर *	1	शून्य	38	338.65
6	कर्नाटक	3	16.7	159	201.4
7	मध्य प्रदेश	2	15	45	101.8
8	महाराष्ट्र	5	19,180	138	168.8
9	पंजाब	1	206	81	161.1
10	तमिलनाडु	2	280	80	45.6
11	तेलंगाना	13	7,820	751	430.2

* हरियाणा और जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में परियोजनाएं शुरूआत के चरण में हैं।

- ii. औषध के लिए पीएलआई योजनाओं के लिए स्वीकृत परियोजनाओं, किए गए निवेश और रोजगार सृजन का राज्य-वार विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य का नाम	अनुमोदित आवेदकों की संख्या	सृजित रोजगार (संख्या) मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार	किया गया निवेश मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार (₹ करोड़ में)
1	चंडीगढ़	1	465	126.20
2	दिल्ली	1	444	45.00
3	गुजरात	10	29,609	17,464.99
4	हरियाणा	1	4,542	50.50
5	हिमाचल प्रदेश	1	633	40.62
6	कर्नाटक	3	4,578	3,925.16
7	मध्य प्रदेश	1	910	100.46
8	महाराष्ट्र	14	21,254	9,874.08
9	पंजाब	1	1,070	129.43
10	तमिलनाडु	4	4,133	479.81
11	तेलंगाना	18	49,312	13,584.12

